## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. Sum 131 17 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant.
Name , parentage, caste and address of accused
स्वाराम 810 मातादी न जारव 3450 Cm7
10900 (2310 m 92 195)2)
कनारों एवं समझाये जाने पर अधियक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुने/अयुराध स्वीकार करना
S. A.S. A.V. and Make M. Life hills his hills.
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
. आप पर आरोप है कि दिनांक 2.3-5-
राष्ट्र के पार्क पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपन
आधिपत्य में लीटर/पाव/बोनल र शराब विकर्य/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
भू नार्थन प्रतिकार के कि एक प्रतिकार के प्रतिकार के कि का विकार कि का
क्र कि कि कि कार्य है कि विकास कार्य में कार्य के कि
The plea of the accused and his examination (if any) पंकार श्रीमा
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
जलश्रवा सम्पत्तिकेटर/मार्च/बेल्क्स
स्ति।
Uchia and
The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) विकास section 26 the value of th
the property in respect of which the offence has been committed

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 1.28.1.22 को घोषित)

- अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
  अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर
  सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त
  किया।
  संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के
  आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता
- आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

  03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने
- 03. जानपुरत पर जानपार जानपार
- 04. जप्तशुदा सम्पत्ति ......लीरर/पाव/बोर्लल ... अ. शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेर्र देनर्देशनः पर्र टिकित् न्यायिक मिलरट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला–मिण्ड (म.प्र.)